

FORM-I
(For projects linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Udaipur

No.p-39/1[1]Raj/FRA/08/ 604

Dated: 16 march,,2017

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN (REVISED)

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and complete the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 35.7823 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of North West Railway (name of user agency) for Udaipur Ahmedabad Gauge Conversion Project (purpose for diversion of forest land) in Udaipur district falls within jurisdiction of Dedakiya, Kharva, Jali ka guda, Jagat Village (s) in Girva Tehsils And Eklingpura, Oda, Bagurva Village in Sarada Tehsil,

It is further certified that:

- a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 35.7823 Hectares of forest area proposed for diversion. However, it is to be noted that out of this area 0.5243 Hectares land is recorded bilanam (Govt.land) and 0.82 Hect. land is recorded as private Khatedari in revenue record (Jamabandi) which has been already allotted and acquired respectively in favour of Railways after following due process. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the district Level Committee are enclosed as annexure 1 to 18 and 1 to 13.
- b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram Sabhas have given their consent to it;
- c. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.:as above


(Rohit Gupta)

District Collector Udaipur

DISTRICT COLLECTOR
UDAIPUR

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, उदयपुर बैठक कार्यवाही विवरण

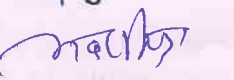
जिला उदयपुर राजस्थान की उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति उपखण्ड गिर्वा की बैठक दिनांक 10.03.2017 के द्वारा उप मुख्य अभियन्ता निर्माण उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर के पत्र संख्या Dy.CE/CW/207/Cpnst/UDZ/Land Dated 07.03.2017 के अनुसार रेलवे, उदयपुर-हिम्मतनगर लाईन के आमामान परिवर्तन परियोजना हेतु वन भूमि अधिग्रहण संबंधित स्टेज-1 का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने के लिए अपनी अनुशंसा उपरान्त जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, उदयपुर की अनुशंसा हेतु आज दिनांक 16.03.2017 को निम्नानुसार प्रस्ताव जिला कलक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता में आयोजित स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में प्रस्तुत किये गये हैं।

रेलवे उदयपुर- हिम्मतनगर लाईन के आमामान परिवर्तन परियोजना के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत उदयपुर जिले के गिर्वा उपखण्ड के राजस्व ग्राम खारवा के 4.8037 के स्थान पर 6.1480 हैक्टर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना है। इस प्रकार से उदयपुर जिले के सात राजस्व ग्रामों की कुल प्रभावी भूमि 34.4380 हैक्टर के स्थान पर 35.7823 हैक्टर गैरवानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना है।

उक्त कार्यवाही के दौरान उप मुख्य अभियन्ता निर्माण उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर के पत्र W-207/const.UDZ/Land/Forest/474459014 दिनांक 16.02.2017 द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन के अन्तर्गत आने वाली भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में जारी वनाधिकार प्रमाण पत्र में अंकित भूमि जो कि पूर्व में वन विभाग के नाम जरीये नोटिफिकेशन दी गयी थी परन्तु समय पर उक्त नोटिफाईड वन भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद नहीं हो पाने से संदर्भित भूमि में से आवंटन होने से निजी खातेदारी दर्ज हो गयी तथा शेष बिलानाम सरकार दर्ज रही, इस वन भूमि प्रत्यावर्तन में 0.5243 हे० भूमि राजस्व अभिलेख में राजकीय बिलानाम एवं 0.8200 हे० भूमि जो राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज थी जो सरकारी बिलानाम उत्तर पश्चिम रेलवे मंत्रालय को आवंटित एवं निजी खातेदारी भूमि नियमानुसार अधिग्रहित हो चुकी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं में 34.4380 हैक्टर हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन अनुमोदन एवं अनुमति पत्र रेलवे की उदयपुर हिम्मतनगर लाईन के आमामान परिवर्तन परियोजना हेतु सराडा एवं गिर्वा उपखण्ड के सातों ग्रामों की पंचायतों द्वारा पूर्व किया जा चुका है, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्रों एवं अनुशंसा तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड सराडा एवं गिर्वा की अनुशंसा के आधार पर रेलवे की उदयपुर-हिम्मतनगर लाईन की आमामान परिवर्तन परियोजना हेतु 34.4380 हैक्टर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन किए जाने की जिला स्तरीय समिति, उदयपुर द्वारा पूर्व में अनुशंसा की जा चुकी है, चूंकि वन विभाग की नोटिफाईड अतिरिक्त राजकीय बिलानाम 0.5243 हे० भूमि जो रेलवे को आवंटित हो चुकी है एवं 0.8200 हे० निजी खातेदारी भूमि जो अधिग्रहित हो चुकी है उक्त भूमि को भी वनाधिकार अधिनियम के तहत जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में सम्मिलित किये जाने की उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि में से राजस्व ग्राम खारवा उपखण्ड गिर्वा की पूर्व में प्रस्तावित 4.8037 हैक्टर के स्थान पर 6.1480 हैक्टर वन भूमि पर भौतिक सत्यापन के अनुसार प्रत्यावर्तन किया जाना है जिसकी अनुशंसा ग्राम सभा खारवा एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा की जा चुकी है। अतः जिला वनाधिकार समिति, उदयपुर इसका अनुमोदन करती है। इस प्रकार कुल 35.7823 हैक्टर वन भूमि गिर्वा एवं सराडा के उदयपुर-हिम्मतनगर आमामान परिवर्तन परियोजना हेतु उ.प. रेलवे को अपवर्तन की अनुशंसा करती है।

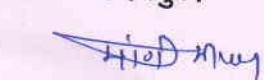

उप वन संरक्षक,
उदयपुर


श्री भंवर सिंह पंवार,
जिला परिषद सदस्य


जिला जनजातिय
कल्याण अधिकारी उदयपुर


श्री दौलत सिंह कलासुआ मीणा
जिला परिषद सदस्य


जिला कलक्टर
उदयपुर।


श्रीमति मांगी देवी
जिला परिषद सदस्य

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

क्रमांक : वनाधिकार/2017/842

दिनांक : 10/3/17

निमित्त :-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
उदयपुर

विषय :- उदयपुर-हिम्मतनगर रेल आमान परियोजना हेतु 35.7823
हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु।

प्रसंग :- श्रीमान का पत्रांक प.39 ()राज/हस्ता./2017/392 दिनांक
17.02.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत उदयपुर-हिम्मतनगर रेल आमान परिवर्तन परियोजना हेतु आवश्यक 34.4380 के स्थान पर 35.7823 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वनाधिकार मान्यता अधिनियम 2006 व नियम 2008 के तहत एफ.आर.ए. का प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र मय ग्राम सभा की छायाप्रति व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरण की छायाप्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा-उदयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

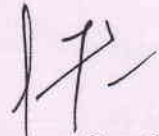
क्रमांक : राजस्व/व.अ/2017/ ४५१

दिनांक : १०/३/१७

प्रमाण पत्र

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) भारत सरकार के पत्र संख्या ११-९/९८ एफसी (पीटी) दिनांक ३ अगस्त २००९, जिसमें कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ एवं २००८ (एम.ओ.ई.एफ.) के तहत वन अधिकार के निपटान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर, निपटान की प्रक्रिया पूर्ण होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिशा में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के ग्राम खारवा की ६.१४८० हैक्टर वन भूमि को रेल्वे विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

- क. तहसील गिर्वा के ग्राम खारवा की ६.१४८० हैक्टर वन भूमि रेल्वे विभाग को उदयपुर-हिम्मतनगर आगान परिवर्तन हेतु प्रस्तावित है, के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की पहचान और निस्तारण के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। जिसके अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत चांसदा की ग्राम सभा द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। (संलग्न ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत चांसदा से प्राप्त प्रमाण पत्र)
- ख. उपर्युक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तहसील गिर्वा की ग्राम पंचायत में (पूर्ण परियोजना के विवरण और उसके प्रभाव के साथ स्थानीय भाषा में) एफ.आर.ए. की प्रासंगिकता के तहत पात्र, वनवासियों से सम्बन्धित ग्राम सभा में रखा गया है। तथा ग्राम पंचायत चांसदा की ग्राम सभा द्वारा ग्राम खारवा के खसरा नम्बर १९६७/१९००, १८७१, १९६६/१८७२, १८७२ कुल किता ४ रकबा ४.८०३७ हैक्टर भूमि भौतिक सत्यापन के बाद ६.१४८० हैक्टर भूमि को रेल्वे विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया।
- ग. तहसील गिर्वा से सम्बन्धित ग्राम सभा खारवा ने प्रासंगिकता के तहत सभी औपचारिकताएँ/प्रक्रियाओं को अपनाते हुए प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से समझकर विकास और मुआवजा (यदि कोई हो) के उपाय करने एवं प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है एवं प्रमाणित किया है।
- घ. तहसील गिर्वा में के ग्राम खारवा की ग्राम पंचायत चांसदा में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्ण कोरम होने के पश्चात् विधिवत सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर सर्शत अनापत्ति दी गई है।
- इ. वनाधिकार अधिनियम की धारा ३ (२) के तहत जरूरी सरकार द्वारा प्रबन्धित सुविधाओं के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन हो चुका है और ग्राम पंचायत चांसदा की ग्रामसभा ने यह करने की अपनी सहमति दे दी है।
- ई. लागू नहीं है।


उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा-उदयपुर

Attendance Sheet

बैठक दिनांक : 10/3/2017

अनुसूचित जनजाति और अन्य पम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 की क्रियान्विति के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1980 के पूर्व के कब्जों को नियमित करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में दिनांक 10/3/2017 को उपखण्ड स्तरीय वनअधिकारी समिति की बैठक रखी गई। बैठक में निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए :-

क्र.सं	नाम अधिकारी/कर्मचारी मय पद	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	कमर इला जमीन (SDM Ginn)	9530322172	
2	नफिसा आदिल (BDO कुश्वाड़ा)	9414758287	
3	लालजी कीम प.स. सदस्य	7568980767	
4	मंवर लाल मीना प.स. सदस्य	9636211955	
5	राधा मीना प.स. सदस्य	7568704449	राधा मीना
6	राजकुमार शर्मा बि-0 कुश्वाड़ा	9829738424	

बैठक कार्यवाही विवरण

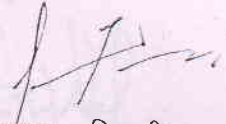
उपर्युक्त सदस्यों की उपस्थिति में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 1

उप मुख्य अभियंता निर्माण उत्तर पश्चिम रेल्वे उदयपुर के पत्र क्रमांक Dy. C.E.C/W-207/Const.UDZ/Land दिनांक 07.03.2017 के अनुसार उदयपुर-हिममतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन के सम्बन्ध में उपखण्ड गिर्वा के राजस्व ग्राम खारवा की 4.8037 हैक्टर वन विभाग की सरकारी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था किन्तु वन विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर 4.8037 हैक्टर के स्थान पर 6.1480 हैक्टर भूमि पाई गई, उक्त वन विभाग की सरकारी भूमि का उत्तर पश्चिम रेल्वे को उदयपुर-हिममतनगर आमान परिवर्तन कार्य के लिए आवश्यकता होने से रेल्वे विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु दिनांक 10.03.2017 को निम्नानुसार प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उदयपुर-हिममतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष ग्राम खारवा की 4.8037 के स्थान पर भौतिक सत्यापन अनुसार 6.1480 हैक्टर वन भूमि होने से ग्राम खारवा की 6.1480 हैक्टर वन भूमि को रेल्वे विभाग को हस्तान्तरित किया जाना है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष ग्राम खारवा में 6.1480 हैक्टर वन भूमि का उदयपुर-हिममतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन हेतु हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक 02.03.2017 को स्वीकृत किया गया। ग्राम खारवा में प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशेषा के आधार पर उदयपुर-हिममतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन हेतु ग्राम खारवा की 4.8037 के स्थान पर भौतिक सत्यापन अनुसार 6.1480 हैक्टर वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने का प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गिर्वा के सदस्यों द्वारा अनुशेषा की गई।


उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा-उदयपुर

GRAM SABHA MEETING

Village:- Kharwa

Date:- 02-03-2017

Place:- Chansada, Panchayat Samiti Kurabar, Dist Udaipur

A Gram Sabha is conducted today on 02-03-2017 Date Thursday day in Village Chasada Under the chairmanship of Sh. Shankar Lal Meena Sarpanch Chansada Village Kharwa more than 70% members of Gram Sabha were present in the meeting and the following issues were discussed in the Gram Sabha Meeting.

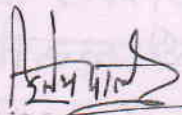
1. In Kharwa Village North (Name of user agency) Western Railway has applied for diversion of forest land measuring 6:148.0 ha. for non-forest purpose i.e. gauge conversion project which was thoroughly discussed in the meeting.
2. The aim, objectives and use of said diversion proposal was discussed thoroughly in the Gram Sabha Meeting.
3. The Rules and Regulations of the Scheduled tribe and the other traditional Forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 were discussed keeping in view the said forest diversion proposal. The forest land proposed for diversion is coming within the Gauge Conversion Project of North Western (Name of user agency) Railway. No Scheduled tribe and the other traditional Forest dwellers are cultivating, residing and doing other traditional activities within the proposed Forest land and No Forest right (individual or community) has been granted to any schedule Tribes and the other traditional Forest dwellers within the forest land proposed for diversion.

Hence it was unanimously resolved in the Gram Sabha for proposed diversion of 6:148.0 Ha. Forest land for non-forest purpose i.e. Gauge conversion project in favour of N.W. Rly (Name of User Agency).

ग्राम सभा चांसदा का उद्घाटन दि. 1 / 02-03-2017

अस्थिर सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर सहित

सत्यापित कॉपी / प्रतिलिपि



Signature of members of Gram Sabha of Village

Sarpanch Sh. Shankar Lal Meena Village

चरपच
ग्राम पंचायत चांसदा
पं.स. कुराबड़, जि. उदयपुर

दिनांक:- 02-03-2017

ग्राम सभा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा, उदयपुर के पत्र क्रमांक सफ. आर. स. / 2017/438 दिनांक 17-2-17 के आदेशानुसार ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र चांसदा में आज दिनांक 02-03-2017 को सखपंच माहल श्री शंकर लाल मीणा की अध्यक्षता में विप्राय ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें

ग्राम सभा में उपस्थित जन प्रतिनिधी अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित हुये

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्री शंकर लाल मीणा	सखपंच	
2.	श्री हितेश पातीवाल	ग्राम सेवक	
3.	श्री सदाशिव चौधान	SSE/W/C/UDZ	
4.	श्री रमेशचन्द्र मीणा	वार्डपंच 9	
5.	श्री केशव लाल मीणा	वार्डपंच 6	केशु लाल
6.	श्रीमती लीला मीणा	वार्डपंच 8	लीला
7.	श्रीमती रक्षा देवी	वार्डपंच 1.	रक्षा देवी
8.	श्रीमती हेमलता देवी	वार्डपंच 4	हेमलता देवी
9.	श्री माहन लाल मीणा	वार्डपंच 3	
10.	श्री हेमराज वावत	LDC	
11.	श्री कृष्ण सिंह चौधान	GARS	
12.			

शंकर लाल मीणा
सखपंच
ग्राम पंचायत चांसदा
उदयपुर

प्रस्ताव सं. ①

आज की ग्राम सभा की बैठक में सरपंच साहब ने प्रस्ताव रखा की उदयपुर हिममतगार रेल आमान परिवर्तन हेतु दिनांक 23-08-2013 की ग्राम सभा में प्रस्ताव सं. ② पर वन भूमि से गैर वन भूमि रुपान्तरण हेतु ग्राम सभा में विम्न खसरा नम्बर 1967/

1900, 1871, 1966/1872, 1872 कुल 4.8034 हेक्टेयर भूमि का अग्रपलि प्रमाण पत्र दिया गया था किन्तु वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के क्रैतिक सत्यापन में राजस्व ग्राम खारवा की आने वाली जमीन 4.8034 के स्थान पर 6.1480 हेक्टेयर है अतः ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से विकास को देखते हुए 6.1480 हेक्टेयर भूमि को ब प्रत्यावर्तन हेतु अग्रपलि प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया एवं विवरण ग्राम सभा की बैठक में पढकर सुनाया गया।

प्रस्ताव सं. ②

आज की ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सेवक पदेन सचिव ने जानकारी दी की पूर्व वर्षों के इन्दिरा आवास एवं C.M.B.P.L. आवास जो कि अपूर्ण हैं उनकी सूची ग्राम सभा में पढकर सुनाई एवं अपूर्ण आवास जो कि लाभार्थी अपने स्तर पर

शेकर रमल मोणा

ग्राम पंचायत, उदयपुर

पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं उनसे सहमति प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा करवाये की जानकारी दी। एवं प्रधानमंत्री आवास योजनागत पात्र परिवारों की वरीयता सूची बढ़कर शुबाह एवं शेष बड़े लाभार्थियों की शीघ्र शीघ्र आवेदन करने व जिन परिवारों के रविस्ट्रेशन हो गया है उनकी लियो टैकिंग करवाने की जानकारी दी गई।

प्रस्ताव क्र. ③

आज की ग्राम सभा की बैठक में महासा गांधीराष्ट्रीय राजगार गांवली योजना व अन्य योजना की चर्चा की गई व नियोजित श्रमिकों की चर्चा की गई एवं ग्राम पंचायत की जानकारी ग्राम सभा की बैठक में दी गई।

ग्राम सभा समाप्ति की घोषणा की गई।

सचिव



सरपंच
ग्राम पंचायत

 ओमरलाल

केशु लाल

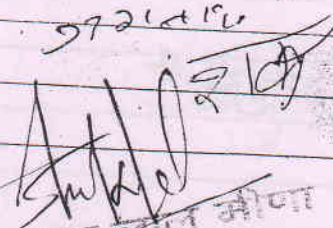
जसवीर प्रसा

मोहन

5/2/2016

 सोनी

रामा



अमल

शंकर लाल मोहन

प.स. 5/2/2016

हस्ताक्षर व अंगूठा

नि. जमनी

अष्टमक महादश की अनुमति से गाय सप्त
समाप्ति की घोषणा की गई।

नि. प्रतापी धावर-चन्द्र नि. कुंजी

जमना

कुंजी

नि. परीक्षित

नि. लील

हुल्लाट

पुष्पा

नि. पुष्पा

जमनी

जमना

दलु लाई

नि. नारायणी

जमनी

नि. कमला

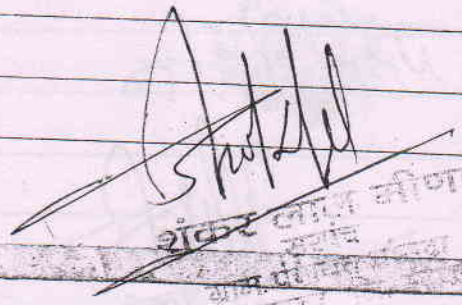
नि. कुंजी

नि. मागा

नि. प्रेमाली

नि. कुंजी

नि. कुंजी


शंकर लाल जीणा
पं. प्र. प्र.

ନି ଯୁକ୍ତ ନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ନି ଶାନ୍ତି

ନି ଶାନ୍ତି

ନି ଧର୍ମ

ନି ମାର୍ଗ

ନି ଶାନ୍ତି

ନି ଶାନ୍ତି ନି ଶାନ୍ତି

ସୁଦୂର

ନି ଶାନ୍ତି ନି ଶାନ୍ତି

ଅନ୍ତ

ନି ଶାନ୍ତି

ନି ଶାନ୍ତି

ନି ଶାନ୍ତି

ନି ଶାନ୍ତି

ନି ଶାନ୍ତି

ନି ଶାନ୍ତି

ନି ଶାନ୍ତି

ନି ଶାନ୍ତି

ନି ଶାନ୍ତି
ନି ଶାନ୍ତି
ନି ଶାନ୍ତି

श्री ५५३

श्री दिवानी

श्री ५५३

श्री ५५३

श्री टुडरी

श्री लोकरे

श्री लोकरे

श्री ५५३

श्री लोकरे

श्री लोकरे

श्री लोकरे

श्री लोकरे

श्री लोकरे

श्री लोकरे

श्री लोकरे

श्री लोकरे

श्री लोकरे